



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/5741-5773

दिनांक: 28.03.2023

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक (IRGY),
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत शहरी सौन्दर्यीकरण के कार्य बाबत।

प्रसंग:-विभागीय समसंख्यक क्रमांक 3640-3672 दिनांक 08.03.2023 एवं 3683-3715 दिनांक 09.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निकायों के द्वारा शहरी सौन्दर्यीकरण के कार्यों को करवाये जाने बाबत प्रेषित किया गया था। दिनांक 22.03.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार शहरों के सौन्दर्यीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें:-

1. **हरा-भरा शहर :-** नगरीय निकाय क्षेत्रों में 67 लाख वृक्षारोपण संबंधी कार्य वन विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2023 के द्वारा नगरीय निकायों को लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। लक्ष्यों के अनुरूप राजकीय भवनों, राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों/महाविद्यालयों के खेल मैदान, स्टेडियम एवं सड़क के दोनों किनारों एवं डिवाईडर में सम्बन्धित विभागों के माध्यम से योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों को कराया जावे।
2. **स्वच्छ शहर :-** सुन्दर, स्वच्छ और हरा-भरा शहर की थीम पर नगरीय निकायों क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता हेतु कार्यों को **स्वच्छ भारत मिशन** के अंतर्गत कराये जावे।
3. **सुंदर शहर :-** योजनान्तर्गत कराये जा रहे सौन्दर्यीकरण कार्यों में "नारा लेखन" को सीमित करते हुए स्थानीय कला, संस्कृति, रंग-रोगन थीम को ध्यान में रखते हुए Integrated रूप में मिशन मोड में कराया जावे, जिससे आगामी दो माह में शहरों की काया कल्प हो सके। शहर के प्रमुख स्थानों विशेषकर: Entry Places/Roads, Tourist Places, Stepwells, Parks, Government Buildings, Public Places, Median Strip, Crossing, Circles जहाँ लोगों का आवागमन अधिक रहता हो, इत्यादि को प्राथमिकता प्रदान कर सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जावे।

कृपया उक्त क्रम में शहरों के सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यों को योजना में सम्मिलित कराया जाकर क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


क्रमांक:एफ.56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/5774-6031

दिनांक: 28.03.2023

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक (IRGY-U), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. सम्बन्धित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका जयपुर जिला राजस्थान को पालनार्थ।
8. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव